

2023/732

सहोदय

उपरोक्त विषय में जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है-

श्रीमान जी राजस्व ग्राम - नांगल के खाता सं. 323 में प्राचीन खातेदार का नाम गोकुल पुत्र मुरली धर राजस्व रिकॉर्ड है प्राचीन के आधार कार्ड में गोकुल पुत्र मुरलीधर अंकित है।

अतः राजस्व ग्राम - नांगल के खाता सं. 323 में गोकुल पुत्र मुरलीधर शुद्ध किया जाना उचित है।

ह. मुअनि

LR-32
09/06/23

ह. हल्का पटवार

रिपोर्ट / अभिशंखा तहसीलदार / नायब तहसीलदार

श्रीमान जी, मुताबिक रिपोर्ट परकारी व जांच पर 3 ग्राम नांगल के खाता सं. 323 में प्राचीन का नाम गोकुल पुत्र मुरलीधर पुस्त करने की अभिशंखा की जाती है।

तहसीलदार / नायब तहसीलदार (मू.अ.) श्रीमधोपुर (सीकर)

आदेश
(कैम्प दिनांक 09/06/2023 मुख्यालय ग्राम पंचायत नांगल)

मुताबिक परकारी व. म. पि. की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार की अभिशंखा के अनुसार नांगल के खा. सं. 323 में द. गोकुल पुत्र मुरलीधर के स्थान पर गोकुल पुत्र मुरलीधर दर्ज करने की स्वीकृति की जाती है।

पालनार्थ:- तहसीलदार / नायब तहसीलदार

शिविर प्रशासन उपखण्ड अधिकारी
प्रशासन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी- श्रीमधोपुर
पंचायत समिति- श्रीमधोपुर